

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत-उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

भूरा पुत्र लक्ष्मण निवासी शक्ता जी का खेडा

वनाम

राजी देवी पत्नी राजुलाल मीणा निवासी शक्ता जी का खेडा वगैरह

किस्म मुकदमा प्रा. पत्र 111,128 एल.आर.ए

मुकदमा नंबर 246/2024

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुकम की तारीख में जारी हुये
01/05/2024	<p>प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जांच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि में ग्राम शक्ता जी का खेडा प.ह. झंझोला आराजी सं. 111/2, 124/1, 127/2, 128/1, 130/131/2,142/1, 143/1, 144/1, 147, 179, 358/1, 39/2, 405/2, 407/1, 408/1, 409/2, 41/2, 401/1, 411/2, 412/2, 471/1,52/2, 53/1, 54/1 कुल कित्ता 25 रकबा 8.8382 हैक्टेयर भूमि स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाने जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावें। प्रार्थना पत्र की तार्ईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।</p> <p>मैंने पत्रावली का अवलोकन किया सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबंदी संवत 2073 से 2076 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है। ग्राम शक्ता जी का खेडा प.ह. झंझोला आराजी सं. 111/2, 124/1, 127/2, 128/1, 130/131/2,142/1, 143/1, 144/1, 147, 179, 358/1, 39/2, 405/2, 407/1, 408/1, 409/2, 41/2, 401/1, 411/2, 412/2, 471/1,52/2, 53/1, 54/1 कुल कित्ता 25 रकबा 8.8382 हैक्टेयर भूमि की उभयपक्षों की उपस्थिती में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक महुआ को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। कमीश्नर फीस 500 रूपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमे से 100रु राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीदार काछोला को लिखा जावें। तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणो को जरिये नोटिस /समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थित में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करें।</p> <p>आदेश आज दिनांक 01/05/2024 को खुल न्यायालय में सुनाया गया।</p>	

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला शाहपुरा

फां.सं./शी.सं./2024/256/2024

दिनांक- 01/05/2024

विषय-

तहसीलदार काछोला

विषय- प.स. 256/2024 अगवान भूरा पुत्र लक्ष्मण निवासी शक्ता जी का खेडा बनाम राजी देवी पत्नी रामलाल भीणा निवासी शक्ता जी का खेडा, धापू पत्नी नारायण भीणा निवासी शक्ता जी का खेडा, धापू पुत्र लालू भीणा निवासी शक्ता जी का खेडा, दुर्गालाल पुत्र मांगीलाल भीणा निवासी शक्ता जी का खेडा, दुर्गालाल पुत्र नाना भीणा निवासी शक्ता जी का खेडा, प्रमूलाल पुत्र गगनलाल भीणा निवासी शक्ता जी का खेडा, भवानी लाल पुत्र जमना भीणा निवासी शक्ता जी का खेडा, मनराज पुत्र मेराम भीणा निवासी शक्ता जी का खेडा, धीसूलाल पुत्र मांगीलाल मेघवाल निवासी शक्ता जी का खेडा, मथरा पुत्र बसना भीणा निवासी शक्ता जी का खेडा, किशना पुत्र भोला भीणा, सीमा देवी पत्नी रामसिंह भीणा निवासी बेई, तहसीलदार काछोला वगैरह की पत्थरगढी की पालना बाबत।

उपरोक्त विषयांकित अगवान के प्रकरण में ग्राम शक्ता जी का खेडा प.ह. झंझोला आराजीस111/2,124/1,127/2,128/1,130/131/2,142/1,143/1,144/1,147,179,358/1,39/2,405/2,407/1,408/1,409/2,41/2,401/1, 411/2,412/2,471/1,52/2,53/1,54/1 कुल कित्ता 25 रकबा 8.8382 हैक्टेयर भूमि की उपस्थिति की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक महोआ को कमीशनर नियुक्त किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रुपये तय किए जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा; उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। तहसीलदार काछोला को प्रतिवादीगणों को जरिये नोटिस/समन भेजकर उभयपक्ष की उपस्थिति में पत्थरगढी के आदेश दिये जाते हैं। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर जिला शाहपुरा